

सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 520/सो.आ.नि.-3/174/2019

दिनांक: 06 अगस्त, 2019

प्रेषक,

निदेशक,

सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,

(गाजियाबाद व गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर),
उत्तर प्रदेश।

महोदय,

सोशल आडिट के उपरान्त महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अनियमितता सम्बन्धित प्रकरणों की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से संलग्न प्रारूप पर वित्तीय वर्ष 2018-19 तक की क्रमिक स्थिति एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में संचालित सोशल आडिट की प्रति माह रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु एक अतिरिक्त प्रारूप का निर्धारण कर पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अपात्रता सम्बन्धी अनियमितता एवं अन्य वित्तीय अनियमितता तथा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के वित्तीय अनियमितता के प्रकरणों का वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 तक संकलित विवरण एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में किये जा रहे सोशल आडिट प्रकरणों का प्रत्येक माह की 10 तारीख तक विवरण संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीया,
6/8/19
(कु० रेखा गुप्ता)
निदेशक।

सोशल आडिट के दौरान प्रकाश में आये वित्तीय प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण

योजना का नाम— प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

वित्तीय वर्ष —

जनपद —

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम जहाँ सोशल आडिट हुआ	ग्राम पंचायत का नाम जहाँ अपात्र लाभार्थी पाये गये	ग्राम पंचायत में कुल अपात्र लाभार्थियों संख्या	कुल सम्मिलित धनराशि (लाख ₹0 में)	अन्य वित्तीय अनियमितता के प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (लाख ₹0 में)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

योजना का नाम— महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

वित्तीय वर्ष —

जनपद —

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम जहाँ सोशल आडिट हुआ	ग्राम पंचायतों की संख्या जहाँ वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आयी	कुल वित्तीय अनियमितता के प्रकरणों की संख्या	वित्तीय अनियमितता के प्रकरण से जुड़ी ग्राम पंचायत का नाम	कुल सम्मिलित धनराशि (लाख ₹0 में)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7